

बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

31 मार्च, 2022

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 18

दोषियों पर कार्रवाई कबतक

*288 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा, निवासी कंकड़बाग, पटना के नाम से पंजीकृत वाहन संख्या- बी.आर.01 पी.ए.- 4631 एवं विन्गर वाहन संख्या- बी.आर.01- पी.सी. 4058 का स्वामित्व जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय, पटना के द्वारा कुमार देवेश चन्द्र सामवेदी के नाम से स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मामला श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने दिनांक:- 04.02.2022 को जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को लिखित शिकायत की है, बावजूद इसके स्वामित्व का संशोधन करने के संबंध में अबतक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा को खंड 'क' में वर्णित दोनों वाहनों का स्वामित्व प्रदान करना चाहती है और इसमें संलिप्त दोषी व्यक्तियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

पौधों का क्या औचित्य

*448 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि राज्य में पौधारोपण से 15 प्रतिशत पौधों का रोपण हुआ है;
- (ख) क्या यह सही है कि इस पौधारोपण में जीवनदायिनी पौधे, यथा-पीपल, बरगद, आम, नारियल, नीम एवं सीता अशोक का पेड़ नहीं लगाया गया है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (ख) में वर्णित पौधे को नहीं लगाने का क्या औचित्य है ?

आवश्यक सुविधा कबतक

*449 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):

क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बक्सर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय कल्याण छात्रवास कोईरपुरवा बक्सर का भवन रखरखाव के अभाव में जर्जर स्थिति में आ गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त छात्रवास के छात्र आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि उक्त छात्रवास में छात्रवास अधीक्षक भी नहीं है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त भवन के स्थान पर उसे दो मंजिला तथा आवश्यक सुविधाओं से युक्त कर छात्रों को लाभांशित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बैंक की शाखा कबतक

*450 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):

क्या वित्त विभाग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिलान्तर्गत थाना एवं प्रखंड- करपी में सघन आबादी एवं अच्छा बाजार होने के बावजूद भी व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत बैंक के अभाव में नौ-नौ किलो मीटर दूरी तय कर पैसा जमा करने एवं निकालने जाना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक करपी में खोलना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कितने को मुआवजा

***451 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गैर-वन इलाकों में घोड़परास एवं जंगली सूअर के कारण फसलों, मानवीय खतरों / दुर्घटना में क्षति के प्रशमन हेतु जंगली सूअर व घोड़परास को आखेट / मारने का साल 2019 में आदेश निर्गत किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि आखेट / मारने वाले के लिए बाह्य पेशेवर शूटर आदि को खर्च वहन एवं मुआवजे दिये जाने का भी प्रावधान है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सदन में माध्यम से अवगत कराएगी कि अबतक कितने घोड़परास एवं जंगली सूअर का आखेट हुआ एवं कितने मुआवजा से लाभांवित हुए, नहीं तो क्यों ?

विद्यालय स्थापित कबतक

***452 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद एवं अरवल जिलों में एक अम्बेडकर आवासीय अनुसूचित जाति बालिका उच्च विद्यालय है;

(ख) क्या यह सही है कि जहानाबाद एवं अरवल जिलों में अम्बेडकर आवासीय अनुसूचित जाति बालक उच्च विद्यालय नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि अम्बेडकर आवासीय अनुसूचित जाति बालक उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण इन दोनों जिलों में अनुसूचित जाति के बालकों को उत्त्यन्त कठिनाई हो रही है और उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जहानाबाद एवं अरवल, दोनों जिलों में अनुसूचित जाति बालक उच्च विद्यालय स्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

असहज माहौल

***453 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत धरहरा प्रखंड के दशरथपुर में मनचलों के द्वारा शाम होते ही असहज माहौल बना दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि राहगीर, महिला, लड़की को रास्ते से गुजरने पर व्यंग्य एवं लफुओं के द्वारा छींटाकशी की जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि यहां बराबर मारपीट एवं मोटरसाइकिल की लूट एवं छिनतई होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड के दशरथपुर में पुलिस पिकेट की स्थापना करना चाहती है ताकि इस तरह की अप्रिय घटना घटित न हो सके ?

प्रवास स्थल का निर्माण

***454 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रवासी पक्षियों के सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रवासी पक्षियों के ठहराव स्थलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है और अब इनकी संख्या काफी घट गई है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रवासी पक्षियों के ठहराव एवं इनके जीव-व्यवहार, संपोषण हेतु अलग-अलग प्रकार के प्रवास स्थल की आवश्यकता होती है परंतु अब तक विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रवासी पक्षियों

की आवश्यकता के अनुसार प्रवास स्थल का निर्माण एवं विकास हेतु योजना बनाना चाहती है और प्रवासी पक्षियों के ठहराव स्थल में वृद्धि करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

जांच कबतक

***455 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के मांझा प्रखंड की वर्तमान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने अपनी नौकरी के महज 14 वर्षों में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से लाखों रुपए अर्जित किए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन्होंने खुद प्रत्येक वर्ष विभाग को समर्पित किए जाने वाले अपनी संपत्ति के ब्यौरा में भी साल दर साल लाखों रुपए का फ्लैट, फिक्स डिपोजिट, गाड़ी, जेवर इत्यादि की अप्रत्याशित वृद्धि होने का उल्लेख किया है;

(ग) क्या यह सही है कि इनके द्वारा समर्पित संपत्ति के ब्यौरा में दर्ज संपत्ति गरीब एवं लाचार परिवार के बच्चों के पोषाहार के लुट से बनायी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनके द्वारा समर्पित संपत्ति के ब्यौरा में दर्ज अप्रत्याशित वृद्धि की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

कितने रोजगार देने में सक्षम

***456 श्री देवेश कुमार (विधान सभा):**

क्या **श्रम संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में कोरोना काल के प्रथम लॉकडाउन के दौरान कुल 15 लाख श्रमिक देश के अन्य राज्यों से अपने घर बिहार लौटे थे, गौरतलब है कि उन सभी श्रमिकों का बिहार में सरकार के द्वारा पंजीकरण कराया गया था, क्या प्रदेश सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि जो भी श्रमिक बिहार लौटे थे वे अन्य राज्यों में कौन से कार्य से जुड़े हुए थे;

(ख) क्या यह सही है कि आंकड़ा मौजूद है तो क्या उन श्रमिकों की कार्य कुशलता को और बेहतर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कोई कौशल विकास योजना चलाई

गई जिससे कि उन श्रमिकों को यहीं बेहतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतालायेगी कि कितने लौटे हुए श्रमिकों ने आज बिहार से दोबारा पलायन नहीं किया है तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं एवं कितने वापस लौटे श्रमिकों को बिहार सरकार प्रदेश में रोजगार देने में सफल हो पाई है ?

बस परिचालन कबतक

*457 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना के गांधी मैदान से एम्स, पटना तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सी.एन.जी. बसें नियमित रूप से परिचालित की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए उक्त बसों का नौबतपुर तक परिचालन करने की घोषणा की थी;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी घोषणा के बावजूद उक्त बसों का नौबतपुर तक परिचालन प्रारंभ नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि खंड 'क' में वर्णित बसों का नौबतपुर तक परिचालन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

ठोस कार्रवाई कबतक

*458 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले की शेरघाटी के पास एन.एच.-2 पर टेम्पो चालकों द्वारा पुल पर एवं नीचे सड़क पर जैसे-तैसे टेम्पो लगा दिया जाता है जिसके कारण यहां पर प्रतिदिन कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि लोकल प्रशासन द्वारा भी इस स्थान को जाम मुक्त कराने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान

पर पुल एवं सड़क पर से टैम्पो हटाने हेतु कोई ठोस कार्रवाई करना चाहती है ?

विद्यालय का सुधार कबतक

*459 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विद्यालय बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अराजक स्थिति में है;

(ख) क्या यह सही है कि इन जिलों के कई विद्यालयों में न भवन, न शौचालय, न चापाकल, न ढंग का खाना और न ही शिक्षकों के अभाव में ठीक से पढ़ाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उल्लिखित जिलों में स्थित कल्याण विभाग के विद्यालयों की दुर्दशा को ससमय सुधारने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

नहर का जीर्णोद्धार

*460 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सोन नहर इन्द्रपुरी से बक्सर लख नं. 11 तक की चौड़ाई काफी सिमट गई है;

(ख) क्या यह सही है कि किसानों की सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हो गई है;

(ग) क्या यह सही है कि किसानों को सही मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नहर का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

करहा का निर्माण

*461 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिलान्तर्गत प्रखंड अरवल के ग्राम ईटवां में सोन नहर के पूर्वी प्रलय चैन वलिदाद में सिंचाई हेतु निर्मित कच्ची करहा का अभी तक पक्कीकरण नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि कच्ची करहा रहने के कारण प्रत्येक साल उड़ाही करनी पड़ती है तथा किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कच्ची करहा का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कटाव निरोधक कार्य

*462 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत जमींदारी बांध पर गंगा के कटाव के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जमींदारी बांध के समीप वाले मधवापुर गांव के सैंकड़ों किसानों की लाखों की लागत की फसल बर्बाद हो गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक कटाव निरोधक कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक कटाव निरोधक कार्रवाई एवं फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा भुगतान करना चाहती है ?

गिरफ्तारी कबतक

*463 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्री सम्पत कुमार, पिता- दिनेश राम, ग्राम- परसपुरा, हसपुरा, थाना- हसपुरा, जिला- औरंगाबाद के निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि श्री सम्पत कुमार पर दिनांक:- 12.01.2022 को गांव के चार लोगों द्वारा रॉड से जानलेवा हमला किया गया एवं उनकी सोने की चेन छीन ली गई;

(ग) क्या यह सही है कि श्री सम्पत कुमार पर इन लोगों द्वारा घर पर हमला किया गया, हमला के क्रम में श्री कुमार के सर पर रॉड से मारा गया, जिसमें श्री कुमार का सर फट गया एवं बचाने के क्रम में श्री कुमार की पत्नी को भी चोटें आई हैं एवं श्री सम्पत कुमार को जख्मी हालत में हसपुरा रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया गया और इलाज किया गया;

(घ) क्या यह सही है कि दिनांक:- 14.01.2022 को श्री सम्पत कुमार द्वारा केस दर्ज किया गया, जिसका केस संख्या- 11/22 दिनांक:- 14.01.2022 है, केस दर्ज होने के एक महीना बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो केस संख्या- 11/22 दिनांक:- 14.01.2022 में अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है और इस केस में कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी ?

तालमेल का अभाव

***464 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि प्रकृति प्रदत्त जल ही जीवन है, जल के बिना छोटे-बड़े सभी जीव निर्जीव हो जाते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जल भंडारण और जल प्रवाह के निमित्त प्रत्येक मौजा अनुसार सर्वे नक्शा में नदी, पईन, आहर, नहर, खंता अंकित हैं जो अधिकांश गाद से भरे हुए हैं जिनकी 20 फीट से लेकर 30 फीट गहरी उड़ाही करने की अति आवश्यकता है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष होने वाली वर्षा का पानी नदी, पईन, आहर, नहर, खंता से गुजरते हुए सागर में मिल जाता है जिससे एक ओर भू-जल स्तर समाप्त हो रहा है तो दूसरी ओर भूमि पर निवासित जीव-जन्तुओं के लिए पेयजल समाप्त हो रहा है तथा कृषि के पटवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहती है कि प्रति पांच साल के अंतराल पर आमजन के समान मत के आधार पर गठित सरकार के पूर्णतः ईमानदार, मेघावी सक्षम पदधारकगण और पदाधिकारीगण के रहते हुए पटना,

नालंदा सहित सभी जिलों के अंचलों के प्रत्येक मौजानुसार सर्वे नक्शा में अंकित नदी, पईन, आहर, नहर, खंता की कम से कम 20 फीट से लेकर 30 फीट गहरी उड़ाही कर जल भंडारण और जल-प्रवाह में सहूलियत के साथ-साथ भू-जल स्तर में वृद्धि एवं कृषि के पटवन, भूमि पर निवासित जीव-जन्तुओं के लिए पेयजल खासकर अनावृष्टि के समय उपलब्ध कराने और सड़क मार्ग से सस्ते जल मार्ग की किस परिस्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के ताल-मेल में अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई और उसकी कबतक व्यवस्था पूरी करने की योजना है ?
